न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 02/2011 (2011/00038)

श्री हामसिंह पुत्र स्व0 श्री रतनसिंह डीलर उचित मूल्य दुकान, ग्राम नेडलिया, तहसील ब्यावर जिला–अजमेर हाल निवासी ग्राम नेगडिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0) .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर। .....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः–

1. श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 15.01.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, ब्यावर द्वारा दिनांक 27.11.2006 को अप्रार्थी डीलर की उचित मूल्य दुकान ग्राम नेगडिया तहसील ब्यावर का निरीक्षण किया गया। जिसमें अकाल राहत सम्वत् 2061 के समापन पर एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) का 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गेहूँ शेष था, जब कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग जाने से समस्त गेहूँ जलना बताया। दिनांक 1.1.2006 को डीलर द्वारा अकाल सवंत् 2061 के एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) की प्रस्तुत हिसाब रिपोर्ट (एम.आर.) की फोटो प्रति अनुसार शेष गेहूँ की मात्रा 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम होना दर्शाया गया है। जो संदेहास्पद एवं गबन किया जाना मानते हुए प्रवर्तन निरीक्षक ब्यावर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उक्त एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) के शेष 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गेहूँ का गबन मानते हुए आदेश दिनांक 29.12..2010 द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम नेगडिया तहसील ब्यावर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए अकाल राहत सम्वत् 2061 के समापन पर एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) का 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गैहूँ की मौजूदा दर 1526/– रूपये प्रति क्विंटल से 14,68,788/– अक्षरे चौदह लाख अडसठ हजार सात सौ अठ्यासी वसूल किये जाने एवं उक्त राशि एक माह की अवधि में कार्यालय में जमा करावे अन्यथा उक्त राशि वसूली की कार्यवाही नियमानुसार पी.डी.आर. एक्ट के तहत किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बरवक्त बहस

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट, अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नहीं आयें। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक ब्यावर द्वारा दिनांक 27.11.2006 को डीलर हामसिंह की उचित मूल्य दुकान ग्राम नेगडिया तहसील ब्यावर का निरीक्षण किया गया। अकाल राहत सवंत् 2061 के समापन पर एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) का 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गैहूँ शेष था। जबकि पूर्व में अकाल सवंत् 2061 का हिसाब उक्त अंकित बैलेन्स को शून्य मात्रा दर्शाकर प्रस्तुत किया एवं एम.आर की प्रति ली गई। इस संदर्भ में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.11.2005 को दुकान में आग लगने एवं उक्त गैहूँ के जल जाने बाबत प्रार्थना पत्र, पंचनामा एवं पुलिस थाना टॉटगढ में रिपोर्ट करने की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत की गई। डीलर द्वारा दिनांक 01.01.2006 को प्रस्तुत हिसाब में अकाल संवत् 2061 के एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) के शेष गैहूँ की मात्रा 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम दर्शाया। दिनांक 27.11.2006 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर के कार्यालय को प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त गैहूँ एवं रिकार्ड दिनांक 21.11.2005 को जल जाना बताया, वहीं दिनांक 01.01.2006 को अकाल राहत का गैहूँ 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम पोते में बताया गया, जो परस्पर विरोधाभाषी होकर गबन का संदेह प्रकट करता है। प्रवर्तन निरीक्षक ब्यावर की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं के कारण अपीलान्ट का ग्राम नेगडिया का जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। जवाब नोटिस पेश करने पर दिनांक 3.12.2007 को अपीलान्ट को 15 दिवस में गैहूँ की आधी रकम जमा कराये बाबत सूचित किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 4.9.2007 को देय राशि जमा कराने हेतु 6 माह का समय चाहा गया। किन्तु उक्त राशि जमा नहीं करवाकर न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के यहॉ अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 1.4.2009 द्वारा खारिज की गई। जिसकी पुनरीक्षण याचिका न्यायालय अति0 खाद्य आयुक्त, जयपुर को पेश की गई। न्यायालय अति0 खाद्य आयुक्त, जयपुर द्वारा जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.12.2006 सपठित आदेश दिनांक 3.12.2007 एवं जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 1.4.2009 को यथावत रखते हुए प्रकरण जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय पारित किया जावे। आदेशानुसार अपीलान्ट को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। दौराने सुनवाई अपीलान्ट ने दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग जाने कारण गैहूँ एवं रेकार्ड नष्ट होना तथा थाना टॉटगढ में रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने का उल्लेख किया। अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई गबन नहीं किया गया है। दुकान निलम्बित होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। वह वांछित राशि जमा कराने में असमर्थ है। अपीलान्ट ने निवेदन किया कि उनके प्रति सहानुभुति का रूख अपनाते हुए उचित मूल्य दुकान का निलम्बन बहाल किया जावे। अपीलान्ट आरोपित आरोपों को ठोस साक्ष्य सबूत के जरिये खण्डन नहीं कर पायें। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा डीलर के कृत्य को गंभीर अनियमितता मानते हुए आदेश दिनांक 29.12.2010 से अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि रूपये 1,000/– एक हजार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 9 के तहत जब्त सरकार की जाकर गबन के गैहूँ 962.50.600 क्वि. गैहूं की तत्समय की बाजार दर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

1526/ रूपये प्रति क्विंटल से 14,68,788/– अक्षरे चौदह लाख अडसठ हजार सात सौ अठ्यासी एक माह की अवधि में में जमा कराने का आदेश पारित किया। राशि नियत अवधि में जमा नहीं कराने पर उक्त राशि वसूली की कार्यवाही नियमानुसार पी. डी.आर. एक्ट के तहत किये जाने का भी उल्लेख किया गया। आदेशानुसार अपीलान्ट द्वारा देय राशि जमा नही कराये जाने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 28.01.2011 को एफ.आई.आर दर्ज करवाई गई। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। चूकि वरवक्त बहस वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं थे किन्तु न्यायहित मे उनके द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अपील कथन है कि अपीलान्ट को उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र सं0 160 दिनांक 17.4.1995 को जारी किया गया। तब से अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान पर दर्ज उपभोक्ताओं को नियमित एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार रसद सामग्री का वितरण नियमित रूप से बिना किसी शिकायत एवं अनियमितता के किया गया। अपीलार्थी, दिनांक 20.11.2005 को वितरण कार्य समाप्त कर घर चला गया। उस समय अपीलान्ट की दुकान में अकाल राहत सम्वत 2061 के समापन पर एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) का 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गैहूँ शेष था, जो कि रात्रि में दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग जाने से समस्त गैहूँ जल गया। अपीलान्ट द्वारा आग लगने की एफ.आई.आर. पुलिस थाना टॉटगढ में दर्ज करवाई गई, जिसकी जांच में आग शॉट सर्किट से लगने एवं गैहूँ जलने की पुष्टि की गई। ग्राम पंचायत बराखन पंचायत समिति जवाजा में भी शिकायत दर्ज करवाई गई जिस पर संरपच द्वारा भी आग लगने एवं गैहूँ के जलने की पुष्टि की गई। अपीलान्ट कम पढा लिखा होने के कारण 21.11.2005 को दुकान में आग लगने एवं गैहूँ के जल जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा दिनांक 1.1.2006 को मासिक साराशं में एस.जी.आर. वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) का 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गैहूँ का अवशेष भूलवश दर्शा दिया गया, जो कि अज्ञानता वश एक मानवीय भूल थी। अपीलान्ट जब तक यह भूल समझ पाता एवं संशोधित मासिक सारांश पेश करता, उससे पूर्व ही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला रसद अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 164/2006 दर्ज कर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) के शेष 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गैहूँ का गबन मानते हुए आदेश दिनांक 29.12..2010 द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम नेगडिया तहसील ब्यावर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए अकाल राहत सम्वत् 2061 के समापन पर एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) का 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गैहूँ की मौजूदा दर 1526/– रूपये प्रति क्विंटल से 14,68,788/– अक्षरे चौदह लाख अडसठ हजार सात सौ अठ्यासी एक माह की अवधि में जमा कराने का आदेश पारित कर दिया, अन्यथा उक्त राशि वसूली की कार्यवाही नियमानुसार पी.डी.आर. एक्ट के तहत किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी का आक्षेपीय आदेश वास्तविक तथ्यों को

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

नजरअन्दाज कर पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाते हुए प्रशनगत जिला रसद अधिकारी अजमेर का निर्णय दिनांक 29.12.2010 को अपास्त कर प्राधिकार पत्र बहाल फरमाया जावें।

चूंकि अपीलान्ट द्वारा अप्रेल 1995 सें उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जा रहा है। लिहाजा अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि, कम पढा लिखा होने के कारण दिनांक 21.11.2005 को दुकान में आग लगने एवं गैहूँ के जलने से नष्ट होने के उपरान्त भी उनके द्वारा दिनांक 1.1.2006 को मासिक साराशं में एस. जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) का 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गैहूँ का अवशेष भूलवश दर्शा दिया गया। अपीलान्ट द्वारा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य यथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन, पंचनामा (पुलिस), थाना टाटगढ द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट इत्यादि के द्वारा यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे कि दुकान में आग लगने से अकाल राहत सम्वत 2061 के समापन पर अवशेष एस.जी.आर.वाई (स्पेशल कम्पोनेन्ट) का 962 क्वि0 50 किलो 600 ग्राम गैहूँ एवं रेकार्ड नष्ट हो गया। अपीलान्ट द्वारा आग लगने की सूचना तत्काल संबधित एसडीएम/तहसीलदार/प्रवर्तन निरीक्षक ब्यावर एवं जिला रसद अधिकारी, अजमेर को नहीं दिया जाना भी अधिनस्थ न्यायालय के गबन के संदेह को प्रबल करता है। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1(2) (1) आ.प्र. एवं स.आ./रा.का./06/20132–55 जयपुर दिनांक 14.9.2006 के द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट में गैहूँ की मात्रा में की गई कमी/अपहरण किये गए गैहूँ की मात्रा के मूल्य की गणना निर्धारित बाजार बिकी दर से संबधित से वसूल किये जाने के निर्देश के तहत ही उक्त गैहूँ की राशि अपीलान्ट से वसूल किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 14.9.2007 के द्वारा 50 प्रतिशत राशि एक मुश्त एवं शेष राशि पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद जमा नहीं करवाई गई जो राजस्थान खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्त सख्या 11 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें हस्तक्षेप करना न्याय हित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2010 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner